



COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT GROUP
CSIR COMPLEX, LIBRARY AVENUE, PUSA
NEW DELHI-110012

No.10(4)/7CPC DA Revision 2024-Pool

Dated 01 Jan, 2025

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Revision of Rates of Dearness Allowance in r/o- CSIR -Senior Research Associates

In pursuance of Office Memorandum No. 1/5/2024-E-II (B) dated 21.10.2024, Issued by Ministry of Finance, D.O.E. on the above mentioned subject endorsed by Council of Scientific and Industrial Research vide letter No.5-1(70)/2009-PD dated 23-10-2024, Head, HRDG has been pleased to accord approval for the revision of rate of Dearness Allowance (D.A.) from existing rate of 50% to 53% to the CSIR -Senior Research Associates (CSIR-SRAs) with effect from 1st July,2024.

As CSIR-SRAs have been paid Dearness Allowance @ 50% on their monthly pay w.e.f. 01/01/2024 to till date, arrears of D.A. bill on account of above revision, may be processed through AMS Portal.


(Ekalabya Bhargava)
Section Officer

To,
The Registrars/Directors Of All Grantee Universities/Institutions/Csir Laboratories
Copy also forwarded to:-

1. PS to Head, HRDG
2. Scientist In-charge, CSIR HRDG -Pool
3. Head, IT Division, CSIR Complex with request to upload this O.M. on CSIR HRDG website under **title:- "Revision of Rates of Dearness Allowance in r/o- CSIR-Senior Research Associates"**
4. F.A.O (EMR-III)
5. Cad IT (AMS)
6. Office copy



सी एस आई आर
मानव संसाधन विकास समूह
सी एस आई आर, कॉम्प्लेक्स पूसा
नई दिल्ली - 110012

सं 10(4)/7CPC DA Revision 2024 – Pool

दिनांक: 01/01/2025

कार्यालय जापन

विषय : सीएसआईआर सीनियर रिसर्च एसोसिएट के संदर्भ में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन

उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्रालय, डी. ओ. ई. द्वारा जारी कार्यालय जापन सं - 1/5/2024-E-II(B) दिनांक 21-10-2024, और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा समर्थित कार्यालय जापन सं 5-1(70)/2009-PD, दिनांक 23-10-24, के अनुसरण में प्रमुख, एचआरडीजी ने सीएसआईआर सीनियर रिसर्च एसोसिएट (सीएसआईआर - SRA's) के महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 50 % से बढ़ाकर 53% किए जाने का संशोधन करने का अनुमोदन प्रदान किया है जो 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा।

सीएसआईआर सीनियर रिसर्च एसोसिएट (सीएसआईआर - SRA's) को 01-01-2024 से अब तक के उनके मासिक वेतन में महंगाई भत्ता 50% की दर से भुगतान किया गया है, उपर्युक्त संशोधन से डी ए बिल का बकाया, एएमएस पोर्टल के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है।


(सकलब्य भार्गव)

अनुभाग अधिकारी

सेवा में,

सभी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों/सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के रजिस्ट्रार/निदेशक प्रति अग्रेषित :-

1. प्रमुख, एचआरडीजी के निजी सहायक
2. वैज्ञानिक प्रभारी, (पूल)
3. प्रमुख, आई टी प्रभाग, सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स..... अनुरोध है कि कृपया इस कार्यालय जापन को सीएसआईआर, एचआरडीजी की वेबसाइट पर :- " सीएसआईआर - सीनियर रिसर्च एसोसिएट के संदर्भ में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन" शीर्षक के अंतर्गत अपलोड करें।
4. वित्त एवं लेखा अधिकारी (ई एम आर - III)
5. कैड आई टी (ए एम एस)
6. कार्यालय प्रति